न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2888 **सन् 2026**

01. जीनत सोलंकी पत्नी मुर्तजा सोलंकी, निवासी मोहल्ला मीरा, थाना अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर।

02. मुमजात जफर पत्नी मुर्तजा खान, निवासी 4 छत्ता ऊपर कोर्ट, थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर।

03. असमा चौहान पत्नी हसरत अली चौहान,

04. हसरत अली चौहान पुत्र श्री इलियास अहमद, निवासीगण 19/25 राजे बाबू रोड़ कामना ज्वैलर्स वाली गली, थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्याः–18 सन् 2025,
(फौजदारी वाद संख्या 482 सन् 2025)
अन्तर्गत धाराः–61(2), 318(4), 316(2), 336(3), 338, 339, 340(2) बी.एन.एस. तथा धारा 66 डी आई.टी.एक्ट।
थाना–साईबर क्राईम, जिला बुलन्दशहर।

–:: निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र ::–

01. आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र उपरोक्त प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

03. आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर कहा गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है उन्होने कोई अपराध नही किया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को उक्त मुकदमें में झूठा फसाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामजद नहीं है। प्राथमिकी 06 वर्ष की देरी से दर्ज करायी गयी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। आवेदकगण/अभियुक्तगण अधिरोपित अपराधों में जमानत पर है तथा एक मुकदमें में आवेदकगण/अभियुक्तगण की गिरफ्तारी पर रोक लगायी हुई है। इन कथनों के आधारों पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

04. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा श्री पीयूष बंसल से सह–अभियुक्त मुर्तजा सोलंकी के द्वारा कॉल व व्हाट्सएप के जरिये सम्पर्क कर sigma telelink pvt. Ltd का CEO & Founder बताना और GPS ट्रेकर की डिस्ट्रीव्यूटरशिप देने की बात कहना व sigma telelink.in पर उपलब्ध GPS ट्रेकर डिवाइसेस के चार मॉडल की जानकारी साझा की, जिस पर वादी द्वारा प्रत्येक मॉडल की 100–100 यूनिट लेने हेतु दिनांक 11.06.2019 को अपने कर्मांचल नगर सहकारी बैक लि0 खाता से sigma telelink pvt. Ltd के आई.सी.आई.सी.आई खाता में 20 लाख रूपये ट्रांसफर किये गये। मुर्तजा सोलंकी द्वारा नकली जी.पी.एस. ट्रेकर भेज दिए, जो गाड़ियों में इंस्टाल करने पर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हुए, जिस पर वादी द्वारा मुर्तजा सोलंकी से सम्पर्क किया गया, तो मुर्तजा सोलंकी द्वारा सभी जी.पी.एस ट्रेकर वापस लेकर बदले में नये ट्रेकर देने की बात कही तथा वादी को 20 लाख रूपये का आई.सी.आई.सी.आई बैंक का फर्जी हस्ताक्षर किया चैक संख्या 527418 दे दिया, जिसके बाउंस हो जाने पर दूसरा चैक संख्या 527425 दे दिया और पहला चैक वापस ले लिया। वादी को पैसे वापस नहीं किया और बिल पर दिये पते पर जाकर चैक करने पर कोई कम्पनी व आफिस नहीं मिली। अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित हुई।

05. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौज0 द्वारा प्राथमिकी में वर्णित कथनों पर बल देते हुए यह कथन किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण की गिरफ्तारी नहीं किये जाने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित किये गये थे तथा उकत याचिका दिनांक 27.04.2026 को निरस्त की जा चुकी है। प्रकरण में विवेचना के उपरान्त आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.06.06 17:33:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

06. अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

07. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा फौजदारी मिस.रिट याचिका संख्या 2342 सन् 2025 जीनत सोलंकी व 3 अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व 2 अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.10.2025 को नियत दिनांक तक आवदेकगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किये जाने के आदेश पारित किये गये थे तथा दिनांक 27.04.2026 को आरोपपत्र दाखिल किये जाने उक्त याचिका को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है। आवेदकगण/ अभियुक्तगण को विवेचना के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था। प्रकरण में विवेचना के उपरान्त आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। आवेदकगण/ अभियुक्तगण का पूर्व का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र विचारण की समाप्ति तक स्वीकार किये जाने का आधार पाता है। तदनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को निम्नलिखित शर्तो के अधीन विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान की जाती हैः–

01. आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

02. आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेंगे।

03. आवेदकगण/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेंगे।

04. आवेदकगण/अभियुक्तगण आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाणपत्र की सत्यप्रति दाखिल करेंगे,

05. आवेदकगण/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस की धारा 351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस की धारा 351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

06. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा आवेदकगण आदेश की दिनांक से पन्द्रह दिन के अन्दर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इस आदेश के अनुक्रम में जमानतनामे निष्पादित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में यह आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त के द्वारा पृथक–पृथक रूप से 30,000/–रूपये (तीस हजार रूपये) का निजी बंधपत्र तथा इतनी धनराशि के दो संतोषजनक प्रतिभू, प्रस्तुत करने पर उसे उपरोक्त शर्तो के अधीन विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाये।

(संजय सिंह–I)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।
आई0डी0 कमांक–यू0पी0–2015

दिनांक : 06.06.2026
सत्यप्रकाश सक्सैना–पी0ए0.